

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023

जयपुर, दिनांक : 19-10-2023

गेहूं आवंटन आदेश माह दिसम्बर, 2023
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-4/2019-बी.पी.-III (ई-368491), दिनांक 16.12.2021 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह दिसम्बर, 2023** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **18.10.2023** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी।
- 4- **माह दिसम्बर, 2023 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।**
- 5- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। **जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**
- 7- योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

— *Ar* —

- 8— नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।
- 9— गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 10— सप्लाइ चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।
- 11— ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 12— खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 13— "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- 14— **माह दिसम्बर, 2023** के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।
- 15— **माह दिसम्बर, 2023** हेतु आवंटित गेहूं का चयनित पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण कराया जावेगा।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

नोट:- खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2023 के आवंटन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाइ चैन मैनेजमेंट सिस्टम में दिनांक 01.10.2023 तक उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉक का समायोजन किया गया है।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
10. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/ निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **आवंटित गेहूँ का नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारत सरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।**
13. सिस्टम एनालिस्ट (खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई-पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पार्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें।
14. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु



उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

परिशिष्ट-1

NFSA Regular Wheat Allotment December-2023

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	555.377	853.428	347.346	5574.101	7330.252
2	Alwar	553.190	1149.239	399.646	7649.426	9751.501
3	Banswara	1327.454	2112.904	627.903	2613.681	6681.942
4	Baran	1315.593	765.910	163.918	2390.935	4636.356
5	Barmer	667.362	2026.421	312.009	4864.643	7870.435
6	Bharatpur	480.595	1358.526	322.335	5722.682	7884.138
7	Bhilwara	735.887	1354.617	439.772	4068.712	6598.988
8	Bikaner	389.597	1996.176	437.484	3562.547	6385.804
9	Bundi	383.841	627.777	181.972	2343.269	3536.859
10	Chittaurgarh	781.819	783.481	498.412	2118.722	4182.434
11	Churu	643.606	1582.210	320.664	3188.325	5734.805
12	Dausa	284.599	910.941	136.631	3348.660	4680.831
13	Dhaulpur	249.632	560.220	118.252	2686.441	3614.545
14	Dungarpur	973.957	2294.306	317.932	2039.466	5625.661
15	Ganganagar	390.863	1324.772	149.288	4129.978	5994.901
16	Hanumangarh	417.305	919.985	159.741	3099.014	4596.045
17	Jaipur	412.270	1495.840	478.616	11830.699	14217.425
18	Jaisalmer	202.616	410.433	104.120	1144.582	1861.751
19	Jalor	677.695	1404.457	304.682	3245.056	5631.890
20	Jhalawar	517.958	1086.341	267.265	3239.276	5110.840
21	Jhunjhun	295.243	511.399	194.541	5393.052	6394.235
22	Jodhpur	227.505	1409.550	156.379	6447.692	8241.126
23	Karauli	460.720	1206.349	226.227	2126.662	4019.958
24	Kota	294.087	1014.053	154.196	2972.999	4435.335
25	Nagaur	505.193	1211.174	320.899	8203.797	10241.063
26	Pali	534.976	1147.162	294.722	3753.727	5730.587
27	Pratapgarh	475.969	1048.797	257.457	1615.106	3397.329
28	Rajsamand	550.209	829.368	226.904	2266.794	3873.275
29	Sawai Madhopur	465.551	782.407	265.654	2548.305	4061.917
30	Sikar	251.609	711.949	154.385	6480.005	7597.948
31	Sirohi	327.686	578.277	182.138	2548.576	3636.677
32	Tonk	445.146	732.868	282.696	2645.962	4106.672
33	Udaipur	1502.878	3341.144	705.535	4457.474	10007.031
Total		18297.988	39542.481	9509.721	130320.366	197670.556

Date.
19.10.23

— A —
(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं सप-शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग